Annex-2

बिहार औद्योगिक क्षेत्र विकास प्राधिकार

BIADA प्रथम तल, उद्योग भवन, पूर्वी गाँधी मैदान, पटना–800004

Website-www.biadabihar.in ,Email- biada@rediffmail.com Phone: 0612-3244029/3244045/3240771/3240769

पत्रांक.................. दिनांक..............

कार्यालय आदेश

सर्वश्री गायत्री मिनी राईस मिल को औद्योगिक क्षेत्र, बिहिया में राईस मिल की स्थापना हेतु कार्यालय पत्रांक 7843/D दिनांक 10.12.10 द्वारा रकवा 5000 वर्गफीट भूमि, भूखंड संख्या–A-(P) आवंटित किया गया। आवंटित भूमि का भौतिक स्वामित्व दिनांक 19.4.11 को दिया गया। इकाई द्वारा अब तक द्वितीय भू किश्त की राशि जमा की गई है।

क्षेत्रीय प्रभारी द्वारा निरीक्षण में पाया गया कि आवंटित स्थल पर दो साल से अब तक कोई कार्य नहीं किया गया है। इस संबंध में कार्यालय पत्रांक 2030/डी दिनांक 11/4/12 द्वारा इकाई को कारण बताओ नोटिस दिया गया। आपके द्वारा कारण बताओ नोटिस के जवाब में सूचित किया गया कि लड़की की शादी में सुरक्षित पैसा खत्म हो गया जिस कारण उद्योग स्थापित नहीं हो सका। पुनः कार्यालय पत्रांक 4876/डी दिनांक 27.7.2012 को अंतिम कारण बताओ नोटिस दिया गया। आपके द्वारा नोटिस के आलोक में कम से कम डेढ़ माह का समय मॉगा गया और आपके द्वारा विश्वास दिलाया गया कि निर्धारित समय में निर्माण कार्य शुरू कर दिया जाएगा। आपके द्वारा निर्धारित समय गुजर जाने पर भी आवंटित भूमि पर कोई कार्य नहीं किया गया तब पुनः कार्यालय पत्रांक 6259/डी दिनांक 3.09.13 द्वारा अंतिम कारण बताओ नोटिस दिया गया। आपके द्वारा अंतिम कारण बताओ नोटिस के जवाब में जमीन कम होने अथवा फिर से नापी करने की बात कही गई है। इससे स्पष्ट होता है कि आपकी की मंशा सिर्फ अपने आवंटन को बरकरार रखने की है उद्योग स्थापना में नहीं।

उपरोक्त वर्णित परिस्थिति में बिहार औद्योगिक क्षेत्र विकास प्राधिकार अधिनियम, 1974 की धारा–6 (क) एवं बिहार औद्योगिक क्षेत्र विकास प्राधिकार नियमावली, 1981 एवं बिहार औद्योगिक क्षेत्र विकास प्राधिकार संशोधन अधिनियम, 1991 के प्रावधानों के अंतर्गत आवंटित भूमि/शेड रद्द कर वापस लेने के प्रदत शक्ति तथा इकाई द्वारा जमा की गई राशि जब्त करने के प्रावधानों के आलोक में सर्वश्री गायत्री मिनी राईस मिल, औद्योगिक क्षेत्र, बिहिया को आवंटित भूमि का आवंटन आदेश को रद्द किया जाता है।

इकाई द्वारा भूमि मद में भुगतान की गयी राशि को जब्त करते हुए औद्योगिक क्षेत्र, बिहिया में राईस मिल की स्थापना हेतु दिनांक 10.12.10 द्वारा रकवा 5000 वर्गफीट भूमि, भूखंड संख्या–A-(P) आवंटित भूमि को रद्द किया जाता है।

प्रबंध निदेशक का आदेश
(दिनांक 21.11.13)

ह०/–
कार्यकारी निदेशक

ज्ञापांक 7807/D
दिनांक 28-11-13

प्रतिलिपिः–सर्वश्री गायत्री मिनी राईस मिल, श्री विद्यापति राय, शिव मंदिर के पास, पुराना भोजपुर, बाक्सर–802133/लेखा शाखा, बियाडा, पटना/क्षेत्रीय प्रभारी औद्योगिक क्षेत्र, बिहिया, प्रबंध निदेशक के विशेष सहायक, बियाडा, पटना को सूचनार्थ प्रेषित।

28/11/13
कार्यकारी निदेशक